न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 17/ 2024
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2024/65

प्रार्थी/अपीलार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
1. श्रीमती पारी पत्नि श्री बालु निवासी गोरडी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) 2. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि धुलजी निवासी गोरडी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) 3. श्रीमती सविता पत्नि बदामीलाल निवासी गोरडी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) 4. श्रीमती हजना पत्नि कालु निवासी गोरडी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)		1. तहसीलदार तहसील बांसवाडा 2. पटवारी हल्का देवलीया तहसील बांसवाडा 3. श्री हातिम अली पत्रावाला पिता श्री शब्बीर पत्रावाला निवासी मुस्लिम कोलोनी, बांसवाडा

उपस्थित

श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता अपीलांट

श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

श्री हीरालाल जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 3

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 13–05–2026

बकौल अपीलांट प्रस्तुत अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलक्टर बांसवाडा के प्रकरण सं. 1/2024 श्रीमती पारी व अन्य बनाम तहसीलदार बांसवाडा में निर्णय दिनांक 11.03.2024 के द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए न्यायोचित निर्णय पारित करे। पत्रावली प्रतिप्रेषित होने के पश्चात् तहसीलदार बांसवाडा के न्यायालय में पुनः प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई एवं पक्षकारो की सहमति के आधार पर भूमि के सीमांकन हेतु तीन भू अभिलेख निरीक्षक एवं चार पटवारियों की टीम गठित करने के आदेश दिये गये। जांच दल द्वारा पक्षकारो को मौके पर बुलाये बिना एवं मुश्तकिल पोईन्ट को रिपोर्ट एवं नक्षे में बताये बिना तथा राजस्व नक्षा ट्रेस का आधार लेकर रिपोर्ट नही बनाकर मनमाने ढंग से अपनी रिपोर्ट पेश की है। दिनांक 15.05.2024 की रिपोर्ट न्यायालय में पेश होने की दिनांक में कांट छांट कर रिपोर्ट दिनांक 22.07.2024 को पेश होना बताया है। जांच दल द्वारा नक्षा ट्रेस को आधार नही लेकर लम्बाई चौडाई का कोई उल्लेख दिये बिना हाथ से काल्पनिक नक्षा बनाकर काल्पनिक रास्ता बताते हुए

काल्पनिक अवैद्य निर्माण बताया है एवं इसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बांसवाडा द्वारा निर्णय पारित किया गया है।

गांव गोरडी की जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार सर्वे नम्बर 569 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा एवं सर्वे नं. 580 रकबा 02 बिस्वा भूमि का खातेदार स्व. श्री नाथु पिता कचरू भील था। नाथु की मृत्यु के पश्चात भूमि के खातेदार उसके पुत्र हुरजी, लक्ष्मण, विठला, परतु बने है। उक्त खातेदारो ने भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही की गई है। भूमि रूपान्तरण की पत्रावली में पटवारी की गलत रिपोर्ट एवं प्रस्तावित भूमि 1 बीघा 6 बिस्वा का गलत नक्षा बनाने से विवाद उत्पन्न हुआ है।

गांव गोरडी की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार सर्वे नम्बर 568 रकबा 0.0800 हैक्टेयर अपीलान्ट श्रीमती पारी, श्रीमती लक्ष्मी, श्रीमती सविता एवं श्रीमती हजना के खातेदारी में है। उक्त सर्वे नम्बर की 0.0324 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है, जिसका बटा नं. 1931/568 है। अवाप्ति के बाद शेष बची खातेदारी की भूमि रकबा 0.0323 हैक्टेयर जिसका नया बटा सर्वे नम्बर 1932/568 है। जिसमें अपीलान्ट का निर्माण है एवं भूमि की सुरक्षा एवं सीमाकंन हेतु दिवाल बनाई है जो अतिक्रमण की परिभाषा में नही आती है। अपीलान्ट का निर्माण रास्ते की भूमि में नही है।

तहसीलदार बांसवाडा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 हातिम अली की ओर से पक्षकार बनकर निर्णय पारित करना प्रतित होता है। मौका जांच हेतु जो टीम गठित की गई थी। उस टीम द्वारा भी हातिम अली के पक्ष में रिपोर्ट बनाने की मानसिकता के साथ कार्य किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने सर्वे नम्बर 569 की 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि क्रय की है। इस भूमि का रूपान्तरण आदेश दिनांक 14.12.2016 का है। रूपान्तरित भूमि मे से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने दो अलग–अलग विक्रय पत्रो से भूमि हुरजी व अन्य से क्रय की है। जिसमें से सर्वे नम्बर 1847/1838/569 रकबा 11 बिस्वा तथा सर्वे नम्बर 1838/569 रकबा 15 बिस्वा है। सर्वे नम्बर 569 की 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि का रूपान्तरण तहसीलदार बांसवाडा के प्रकरण संख्या 122/2016 के द्वारा किया गया है। जिसमें प्रस्तावित भूमि का नक्षा गलत बताया गया है तथा प्रस्तावित भूमि को नक्षा ट्रेस में उत्तरी हिस्सा बताया गया है। इसी प्रस्तावित भूमि के पूरब दिशा में ग्रामीण सड़क स्थित है। सर्वे नम्बर 569 से लगा हुआ दक्षिण में बांसवाडा डूंगरपुर रोड दर्शाया गया है जो कि नक्षा ट्रेस एवं मौके की स्थिति के विपरित है। तत्कालीन पटवारी राकेश रावत ने अपनी रिपोर्ट एवं नक्षा ट्रेस में कुंटरचना करते हुए सर्वे नम्बर 569 की भूमि के दक्षिण में लगी हुई बांसवाडा–डूंगरपुर मुख्य सड़क बता दी गई है। जिससे यह विवाद उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार हातिम अली ने आवासीय भूमि को वाणिज्यिक भूमि में रूपान्तरण की पत्रावली पेश की गई है। जिसमें पटवारी ने सर्वे नम्बर 569 की आवासीय भूमि को छोडते हुए पूरब एवं दक्षिण में एल आकार में भूमि बताकर समानान्तर लाईन बनाकर वाणिज्यिक परिवर्तन कराया गया है। जिसमें भी सर्वे नम्बर 569 के दक्षिण में मुख्य सड़क बांसवाडा–डूंगरपुर दर्शाई गई है। वास्तविकता यह है कि, नक्षा ट्रेस के अनुसार एवं मौके की स्थिति के अनुसार सर्वे नम्बर 569 से लगी हुई दक्षिण दिशा में अपीलान्ट के खातेदारी की कृषि भूमि सर्वे नम्बर

568 स्थिति है तथा सर्वे नम्बर 568 के दक्षिण में डूंगरपुर–बांसवाडा मुख्य सड़क स्थित है। हातिम अली रेस्पोडेन्ट नं. 3 को अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि को सम्पर्ण करने का अधिकार नही है। पटवारी ने नक्शा ट्रेस एवं मौका रिपोर्ट की कुटरचना कर सर्वे नम्बर 568 की भूमि का सम्पर्ण बताकर विवाद उत्पन्न किया है। रूपान्तरण आदेश में पटवारी द्वारा नक्शा ट्रेस में कुटरचना करने एवं कुटरचित दस्तावेज तैयार कर सर्वे नम्बर 569 एवं सड़क के मध्य सर्वे नम्बर 568 के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। जिससे अपीलान्ट का निर्माण जो कि उनके खातेदारी के सर्वे नम्बर 568 की भूमि में है, उसे जांच दल ने सड़क की भूमि बताकर अतिक्रमण बता दिया है। वस्तुतः सर्वे नम्बर 569 के दक्षिण में रास्ता अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थिति नही है। अपितु दोनो के बीच में 568 की भूमि है। जिसके खातेदार अपीलान्ट है, उक्त तथ्यो को छुपाकर जांच हेतु गठित टीम ने गलत रिपोर्ट बनाई है। रूपान्तरण की पत्रावली में बनाये गये दोनो नक्शा ट्रेस को दस्तावेज के रूप में पृथक से पेश किया गया है।

सर्वे नं. 569 का रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा के सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 14.12.2016 में शर्त संख्या 11(ड) में ग्राम पंचायत की सड़क सीमा के मध्य बिन्दु से 50 फीट भूमि छोडकर किया गया है। सर्वे नं. 569 की उक्त आवासीय भूमि के पूरब दिशा में ग्रामीण सड़क स्थित है। नजरी नक्शा में रेस्पोडेन्ट नं. 3 के निर्माण को ग्रामीण सड़क के मध्य बिन्दु से कितनी दुर पर किया गया है। इसका कोई उल्लेख नही किया है, वस्तुतः मौके पर 20 फीट चौडी ग्रामीण सड़क से लगा हुआ रेस्पोडेन्ट नं. 3 का भूमि की पुरी लम्बाई में निर्माण होकर दुकाने बनी हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने जिस भूमि पर दुकाने बनाई है, वह भूमि रूपान्तरित भूमि नही है एवं सड़क सीमा की भूमि है। इस तथ्य को गठित जांच टीम द्वारा जानबुझकर छुपाया गया है। रेस्पोडेन्ट नं. 3 को तहसीलदार एवं जांच टीम द्वारा अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसके अवैद्य निर्माण को छुपाकर रिपोर्ट पेश की गई है। अपीलान्ट ने अपने खातेदारी की सर्वे नम्बर 568 की भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल बनाई है, जिसे बिना किसी आधार के रास्ते की भूमि बताकर अवैद्य निर्माण बताकर झुठी एवं बनावटी रिपोर्ट पेश की गई है। सर्वे नम्बर 569 के दक्षिण दिशा में अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि स्थित है। पटवारी ने व्यवसायिक रूपान्तरण के समय अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि का सम्पर्ण बताकर झुठी रिपोर्ट की है। वस्तुतः सर्वे नं. 569 के दक्षिण दिशा में कोई रास्ता नही हैं। अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है। अपीलान्ट अपनी कृषि भूमि पर काबिज है। तहसीलदार बांसवाडा ने कुटरचित रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है।

नक्शा ट्रेस एवं मौके की स्थिति इस प्रकार है कि, राष्ट्रीय राजमार्ग बांसवाडा डूंगरपुर सड़क के उत्तर दिशा में अपीलान्ट के खातेदारी का सर्वे नम्बर 568 की भूमि है। सड़क से लगी हुई सर्वे नम्बर 568 की आवाप्तशुदा भूमि है तथा आवाप्तशुदा भूमि के पश्चात अपीलान्ट के खातेदारी में इस सर्वे नम्बर की शेष बची भूमि है। उसके बाद उत्तर दिशा में सर्वे नम्बर 569 की आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि स्थित है। इस स्थिति को इस प्रकार समझा जा सकता है कि, सर्वे नम्बर 569 की भूमि के दक्षिण में

अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है। जिसमें विवादित निर्माण बताया है एवं खातेदारी की भूमि को रास्ते की भूमि को गैरकानून बताया जा रहा है। इसके दक्षिण में अपीलान्ट के खातेदारी की आवाप्तशुदा भूमि एवं मुख्य सड़क स्थित है। इस संबंध में अपीलान्ट ने जीडीपीएस तकनीक से नक्षा ट्रेस के आधार पर सेटेलाइट से सर्वे नम्बर 569 के उत्तर–पूर्वी कोने में स्थित सर्वे नम्बर 921 व 233 की मेड से मुश्तकिल पोईन्ट लिया गया है तथा उसी प्रकार पश्चिम दिशा की ओर स्थित सर्वे नम्बर 1305 को मुश्तकील पोईट लेकर नापा गया है। जिसमें अपीलान्ट का सड़क की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। सेटलाइट के द्वारा जीडीपीएस तकनीक से सीमाकंन के दो नक्षे अपीलान्ट ने तैयार कराये है। जो पृथक से पेश है। जिसमें अपीलान्ट का रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है।

तहसीलदार द्वारा गठित जांच दल द्वारा दिनांक 22.07.2024 जिसे रिपोर्ट में तारीख में काट छांट की गई है, की दो रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसमें से एक रिपोर्ट में तीन कर्मचारियों के हस्ताक्षर है एवं एक रिपोर्ट पर सात कर्मचारियों एवं अधिकारीयों के हस्ताक्षर है। तहसीलदार द्वारा गठित टीम द्वारा मौके पर कोई सीमाकंन नही किया गया है। रिपोर्ट में अपीलान्ट के खातेदारी का सर्वे नम्बर 568 का कोई उल्लेख नही किया है। सर्वे नम्बर 1932/568 की भूमि में अतिक्रमण बताया जा रहा है जो गलत है। मौके पर कोई नाप तोल नही किया गया है। दोनो रिपोर्ट एक ही तारीख की एवं समानान्तर है। जिससे यह स्पष्ट है कि गठित टीम मौके पर नही जाकर ऑफिस में बैठकर झुठी एवं कुटरचित रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट तहसीलदार कार्यालय में पेश होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 हातिम अली को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से रिपोर्ट को बदला गया है। इसका प्रमाण यही है कि दोनो रिपोर्ट अलग–अलग कर्मचारी द्वारा तैयार की गई है एवं हस्ताक्षर भी अलग–अलग है। तहसीलदार बांसवाडा ने निष्पक्ष कार्यवाही नही की है। तहसीलदार बांसवाडा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बचाने एवं उसके द्वारा पूरब दिशा की तरफ सड़क की भूमि में किये गये अवैध निर्माण को छुपाने के उद्देश्य से रिपोर्ट की कुटरचना की गई है जिससे निर्णय काबिल खारजी है। दोनो रिपोर्ट देखने से संबंधित कर्मचारीयो, अधिकारियों, तहसीलदार बांसवाडा के विरूद्ध कुटरचना के अपराध में प्रथम सूचना दर्ज कराने एवं विभागीय कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है।

जांच दल द्वारा बनाये गये दोनो रिपोर्ट में सर्वे नम्बर 569 की सरेण्डर की गई भूमि को नही दर्शाया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सर्वे नम्बर 569 से लगा हुआ दक्षिण दिशा में अपीलान्ट का सर्वे नम्बर 568 की भूमि स्थित है। ऐसी अवस्था में 569 की भूमि को रास्ते के लिये समर्पण आवश्यक नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा क्रय की गई भूमि के रूपान्तरण आदेश की पत्रावली में पटवारी ने तथ्यो एवं मौके की स्थिति को छिपाया है। पटवारी ने जो प्रस्तावित भूमि जिस नक्षे में बताई है उसमें सर्वे नम्बर 568 की भूमि नही बताकर सीधे ही सर्वे नम्बर 569 के दक्षिण में मुख्य सड़क दर्शा दी गई है। सर्वे नम्बर 569 की भूमि के रूपान्तरण के नक्षे में कुटरचना करने से सारा विवाद उत्पन्न हुआ है। अतः

तत्कालीन पटवारी एवं तहसीलदार के विरूद्ध विभागीय एवं फौजदारी कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है।

यह कि, अपीलान्ट की कृषि भूमि आराजी नम्बर 568 रकबा 0.0800 हैक्टेयर ग्राम गोरड़ी तहसील बांसवाडा जिला बाँसवाड़ा में स्थित है।एन. एच.927--ए के लिये इस आराजी के रकबा 0.0324 हैक्टेयर भाग को अवाप्त किया गया और बाद अवाप्ति अपीलान्ट के पास रकबा 0.0323 हैक्टेयर उनकी खातेदारी में शेष रहा। बाद अवाप्ति अवाप्तशुदा भूमि का नम्बर 1931/568 और खातेदारी की भूमि का नम्बर 1932/568 हो गया।

अपीलान्ट की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 1932/868 में पुराना निर्माण स्थित है जिसके पीछे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने आराजी नम्बर 569 में से बची अरूपान्तरित भूमि रकबा 0.0800 हैक्टेयर और आराजी नम्बर 580 रकबा 0.0200 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर पर अवैध निर्माण कर रखा है जिसे बचाने के लिये उसने एक साजिश रची कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 1932/568 में स्थित निर्माण को आराजी नम्बर 569 में से बची अरूपान्तरित भूमि रकबा 0.0800 हैक्टेयर और आराजी नम्बर 580 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर में स्थित होना बताकर उस निर्माण को विवाद में डाल दिया जावे।

दूसरी असामान्य और संदिग्ध दिखाई देने वाली कार्यवाही यह हुई कि माह अगस्त सन् 2023 में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को जनहित में रुचि रखने वाले व्यक्ति बताकर माननीय ग्राम न्यायालय तलवाड़ा में रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध एक सिविल वाद संख्या 03/2023 प्रस्तुत करवाया जिसमें उन पर यह मिथ्या दोषारोपण किया गया है कि, उन्होने रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया है इस कारण उनके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जावें। विदित हो कि इस वाद में प्रतिवादी संख्या 8 से 12 के रूप में जिला कलक्टर महोदय, उपखण्ड अधिकारी की, तहसीलदार जी अधीक्षण अभियन्ताजी सार्वजनिक निर्माण विभाग और अधिशासी अभियन्ता जी राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे सरकारी पक्षकारों को पक्षकार बनाया गया था। किन्तु प्रतिवादी संख्या–8 से 12 में से किसी ने भी अपीलार्थीगण द्वारा अतिक्रमण करने के वादीगण के आरोपों का समर्थन नहीं किया। उक्त वाद में वादी संख्या–2 श्री मनीष सेवक ने दिनांक 25–08–2023 को वाद से अपना नाम हटाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या–3 की मदद करने वाले कुछ भू–माफियाओं ने बहका कर उससे ये वाद पेश करवा दिया जबकि किसी का कोई अधिकार बाधित नहीं हो रहा है। इस वाद में अपीलार्थीगण ने इसकी ग्राह्यता बाबत आपत्ति की तो सिविल न्यायालय ने दिनांक 13–09–2023 को एक विस्तृत निर्णय पारित कर वाद सक्षम न्यायालय में पेश करने बाबत वादीगण को लौटा दिया गया। वाद लौटाने के बाद उसे अन्य किसी न्यायालय में पेश नहीं किया गया। यह समझ से परे है कि ऐसा कैसा जनहित कि जनहित की बात बीच ही में छोड़ दी जावे? इससे स्पष्ट है कि वाद रेस्पोडेन्ट संख्या–3 के इशारे पर पेश किया गया था और उसी के इशारे से उठा भी लिया गया। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि उक्त वाद

के वादी संख्या–1 सीताराम का पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या–3 के यहाँ पर नौकरी करता है और उसका जनहित से कोई लेना देना नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 की स्वार्थ सिद्धि के लिये कठपुतली पक्षकारों से उक्त वाद पेश कराया गया था।

अतः निवेदन है कि, अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावें एवं निर्णय दिनांक 01.08.2024 पिठासीन अधिकारी श्री दीपक सांखला तहसीलदार बांसवाडा निरस्त फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 19.09.2024 को रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट सं.3 स्वयं उपस्थित रहे। दिनांक 10.10.2024 को रेस्पोडेंट सं. 3 की ओर से श्री हीरालाल जैन व श्री भूषण जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ।

दिनांक 03.01.2025 को अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दस्तावेज रेकॉर्ड पर लिये जाने बाबत् पेश किया। दिनांक 14.12.2025 को रेस्पोडेंट सं. 3 के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब पेश कर आपत्ति जाहिर की। दिनांक 26.06.2025 को प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रेकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

दिनांक 17.03.2026 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई, बहस अधुरी रही दिनांक 23.04.2026 को मजीद बहस सुनी जो अधुरी रही। अपीलांट की ओर से फर्द दस्तावेज के साथ रिपोर्ट दिनांक 22.07.2024 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। दिनांक 13.05.2026 को मजीद बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रुप से यह कथन किया कि नक्षा ट्रेस एवं मौके की स्थिति इस प्रकार है कि, राष्ट्रीय राजमार्ग बांसवाडा डूंगरपुर सड़क के उत्तर दिशा में अपीलान्ट के खातेदारी का सर्वे नम्बर 568 की भूमि है। सड़क से लगी हुई सर्वे नम्बर 568 की आवाप्तशुदा भूमि है तथा आवाप्तशुदा भूमि के पश्चात अपीलान्ट के खातेदारी में इस सर्वे नम्बर की शेष बची भूमि है। उसके बाद उत्तर दिशा में सर्वे नम्बर 569 की आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि स्थित है। इस स्थिति को इस प्रकार समझा जा सकता है कि, सर्वे नम्बर 569 की भूमि के दक्षिण में अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है। जिसमें विवादित निर्माण बताया है एवं खातेदारी की भूमि को रास्ते की भूमि को गैरकानून बताया जा रहा है। इसके दक्षिण में अपीलान्ट के खातेदारी की आवाप्तशुदा भूमि एवं मुख्य सड़क स्थित है। इस संबंध में अपीलान्ट ने जीडीपीएस तकनीक से नक्षा ट्रेस के आधार पर सेटेलाइट से सर्वे नम्बर 569 के उत्तर–पूर्वी कोने में स्थित सर्वे नम्बर 921 व 233 की मेड से मुश्तकिल पोईन्ट लिया गया है तथा उसी प्रकार पश्चिम दिशा की ओर स्थित सर्वे नम्बर 1305 को मुश्तकील पोईट लेकर नापा गया है। जिसमें अपीलान्ट का सड़क की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। सेटलाइट के द्वारा जीडीपीएस तकनीक से

2

सीमाकंन के दो नक्शे अपीलान्ट ने तैयार कराये है। जो पत्रावली के साथ संलग्न है। जिसमें अपीलान्ट का रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है।

तहसीलदार द्वारा गठित जांच दल द्वारा दिनांक 22.07.2024 जिसे रिपोर्ट में तारीख में काट छांट की गई है, की दो रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसमें से एक रिपोर्ट में तीन कर्मचारियों के हस्ताक्षर है एवं एक रिपोर्ट पर सात कर्मचारियों एवं अधिकारीयों के हस्ताक्षर है। तहसीलदार द्वारा गठित टीम द्वारा मौके पर कोई सीमाकंन नही किया गया है। रिपोर्ट में अपीलान्ट के खातेदारी का सर्वे नम्बर 568 का कोई उल्लेख नही किया है। सर्वे नम्बर 1932/568 की भूमि में अतिक्रमण बताया जा रहा है जो गलत है। मौके पर कोई नाप तोल नही किया गया है। दोनो रिपोर्ट एक ही तारीख की एवं समानान्तर है। जिससे यह स्पष्ट है कि गठित टीम मौके पर नही जाकर ऑफिस में बैठकर झुठी एवं कुटरचित रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट तहसीलदार कार्यालय में पेश होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 हातिम अली को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से रिपोर्ट को बदला गया है। इसका प्रमाण यही है कि दोनो रिपोर्ट अलग–अलग कर्मचारी द्वारा तैयार की गई है एवं हस्ताक्षर भी अलग–अलग है। तहसीलदार बांसवाडा ने निष्पक्ष कार्यवाही नही की है। तहसीलदार बांसवाडा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बचाने एवं उसके द्वारा पूरब दिशा की तरफ सड़क की भूमि में किये गये अवैध निर्माण को छुपाने के उद्देश्य से रिपोर्ट की कुटरचना की गई है जिससे निर्णय काबिल खारजी है। अपीलांट के अधिवक्ता ने सर्वे टीम के तीन अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि जो तहसीलदार बांसवाडा द्वारा जारी की गई है, की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

रेस्पोडेंट सं 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नंबर 568 रकबा 0.0800 हैक्टेयर थी जिस मे से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927–ए में अपीलार्थी की कृषि भूमि रकबा 0.0800 हैक्टेयर मे से 0.0324 हैक्टे. अवाप्त होने से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 927–ए में चली गई शेष कृषि भूमि अपीलार्थी के पास है जिससे अवाप्तशुदा भूमि का नम्बर 1931/568 और अपीलार्थीगण के खातेदारी की भूमि का नम्बर 1932/568 हो गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 की कृषि भूमि जिसका सर्वे नंबर 569 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927–ए में जाने से रास्ता हो गया है तथा सर्वे नंबर 569 के पिछे प्रत्यर्थी संख्या 3 की वाणिज्यिक भूमि जिसका सर्वे नंबर 1847/1838 के पिछे प्रत्यर्थी संख्या 3 की आबादी भूमि जिसका सर्वे नंबर 1838/869 है। खसरा संख्या 569 रकबा 0.0647 हैक्टे. व 580 रकबा 0.0162 हैक्टे. जो रास्ते में दर्ज है जिसका रेकार्ड राजस्व विभाग में उपलब्ध है जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा गैर कानूनी तरीके से अवैद्य निर्माण कार्य किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा आराजी नं. 580 रकबा 0.162 है. श्रीसरकार रास्ता भूमि पर अतिक्रमण नही किया है।

राजकीय अधिवक्ता ने रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से कथन किया कि माननीय श्रीमान् के न्यायालय के आदेश की पालना मे प्रकरण में पुनः सुनवाई की जाकर राजस्व टीम का गठन किया गया। वक्त सेटलमेंट के नक्शे के माध्यम से सीमाज्ञान से श्री हातिम अली पतरावाला का गोरडी के आराजी नं. 580

रकबा 0.0162 है. श्रीसरकार रास्ता में 544 वर्गफीट पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण एवं श्रीमती पारी, लक्ष्मी, सविता, हजना द्वारा गोरडी के आराजी नं. 580 रकबा 0.0162 है. श्रीसरकार रास्ता में 350 वर्गफीट पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण व ग्राम गोरडी के आराजी नंबर 569 रकबा 0.0647 है. श्रीसरकार रास्ते में से किये गये अवैध निर्माण 2346 वर्गफीट से बेदखल करने आदेश पारित किया है जो कि विधि सम्मत है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे। अपील में पटवारी हल्का देवलीया को पक्षकार के रुप में प्रस्तुत करना विधिनुकुल नही है क्योंकि इस अपील में तहसीलदार बांसवाडा को पक्षकार बनाया गया है। पटवारी हल्का देवलीया जो कि तहसीलदार बांसवाडा के अधिनस्थ कार्मिक है। पटवारी हल्का देवलीया को पक्षकार के रुप में हटाये जाने निवेदन किया।

प्रकरण में पटवारी हल्का देवलीया औपचारिक पक्षकार है जिन्हे सुना जाना आवश्यक नही है।

हमने पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्षीय बहस पर मनन किया। अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य रुप से उज्र यह रहा है कि तहसीलदार द्वारा गठित जांच दल द्वारा दिनांक 22.07.2024 जिसे रिपोर्ट में तारीख में काट छांट की गई है, की दो रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसमें से एक रिपोर्ट में तीन कर्मचारियों के हस्ताक्षर है एवं एक रिपोर्ट पर सात कर्मचारियों एवं अधिकारीयों के हस्ताक्षर है। तहसीलदार द्वारा गठित टीम द्वारा मौके पर कोई सीमाकंन नही किया गया है। इस बाबत् अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा सर्वे टीम के तीन अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि जो तहसीलदार बांसवाडा द्वारा जारी की गई है, की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में संलग्न सर्वे टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मूल रिपोर्ट पर सर्वे टीम के समस्त कार्मिको के हस्ताक्षर है जबकि अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि पर तीन कार्मिको के हस्ताक्षर है। इससे यह प्रतित होता है कि गठित टीम द्वारा की गई कार्यवाही औपचारिकता मात्र है। इस प्रकरण का मुख्य आधार बिन्दु यह रिपोर्ट है, इसमें इस प्रकार की लापरवाही सम्पूर्ण कार्यवाही को दुषित करती है।

अतः न्यायहित में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते है। अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगणो को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई करे एवं जांच दल गठित कर स्वयं मौके पर जाकर अपने निर्देशन में मौका जांच करवाऐं। अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29—05—2026 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 13—05—2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॅा. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)